न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2012 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 03.09.2012

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955

उपस्थितिः– 1– श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक
2– श्री रमेश चन्द्र गर्ग, अधिवक्ता विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 02.07.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 85 मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा किस्म तालाब पेटा गे. मु. होकर बिलानाम गत बन्दोबस्त में दर्ज थी। उक्त भूमि की तालाब पेटा गे. मु. होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 200 रकबा 0.23 है. बने हैं जो विपक्षी के नाम जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 में शमशान घाट नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित है जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 200 रकबा 0.23 है. को पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकार्ड में किस्म तालाब पेटा गे. मु. बिलानाम दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गर्ग, ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 85 मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म तालाब पेटा गे. मु. बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म तालाब पेटा गे. मु. होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, एवं जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 85 मी. किस्म तालाब पेटा गे. मु. दर्ज थी। उक्त किस्म की भूमि को किसी भी व्यक्ति को कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आवन्टन नहीं किया जा सकता था। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 85 मी. के नवीन बन्दोबस्त की आराजी संख्या 200 रकबा 0.23 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम दर्ज है जो विधि-विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदन स्वीकार फरमाकर उक्त आराजी को पूर्व किस्म अनुसार अंकन का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता विपक्षी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मीठाराम जी का खेड़ा की आराजी संख्या 85 मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा भूमि बिलानाम होना स्वीकार है। यह भूमि राज्य सरकार ने दी है तथा इसका लगान 40 गुना राशि हमने जमा करा दी है जो नवीन आराजी संख्या 200 रकबा 0.23 है. से शमशान घाट के नाम दर्ज है। शमशान की भूमि नगर पालिका में निहित सम्पत्ति होती है। उस पर नगर पालिका का अधिकार है। रेफरेन्स अवधि बाहर है। अतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम मीठाराम जी का खेड़ा चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 85 मी. किस्म तालाब पेटा गे. मु. होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 200 रकबा 0.23 है. बने हैं जो शमशान घाट के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमियां आवंटन योग्य नहीं है और इनमे खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते हैं। अतः ग्राम मीठाराम जी का खेड़ा चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 85 मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा किस्म तालाब पेटा गे. मु. जो बन्दोबस्त होने से हाल आराजी नम्बर 200 रकबा 0.23 हैक्टेयर किस्म शमशान भूमि दर्ज होने से इसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश 02.08.2004 के निर्देशानुसार दिनांक 15 अगस्त 1947

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु पुनः बिलानाम किस्म तालाब पेटा गे. मु. दर्ज कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official